न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 19/375

1. घनश्याम आत्मज गोपाल जाति गुर्जर निवासी ग्राम अभयपुर तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।
2. सीताराम आत्मज गोपाल जाति गुर्जर निवासी ग्राम अभयपुर तहसील लाडपुरा जिला कोटा हाल धाकडखेडी तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।

———अपीलान्ट

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार लाडपुरा जिला कोटा ।
2. नगर विकास न्यास कोटा जरिये अध्यक्ष /सचिव ।

———रेस्पोडन्ट

उपस्थित :– 1. श्री रमेश कुशवाह, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री शम्भूदयाल विजय, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट कम 2 की ओर से ।

निर्णय दिनांकः 18.03.2020

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय सहायक कलक्टर, कोटा जिला कोटा द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 05.08.2019 के विरूद्ध पेश की गई हैं ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादीगण अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 88, 89 एवं 188 के अन्तर्गत वाद प्रस्तुत कर कथन किया कि ग्राम अभयपुर तहसील लाडपुरा जिला कोटा में पुराने खसरा नम्बर 16 की 36 बीघा भूमि स्थित है । उक्त भूमि में से 08 बीघा भूमि पर वादीगण के पिता गोपाल का कब्जा काश्त चला आ रहा था । बाद सेटलमेंट नये खसरा नम्बर 51 रकबा 1.28 हैक्टर कायम किये गये हैं जिस पर वादी का कब्जा काश्त चला आ रहा है । राजस्व रिकॉर्ड में उक्त भूमि सिवायचक काबिल काश्त दर्ज है । उक्त भूमि खसरा नम्बर 51 की 1.28 हैक्टर में से 0.49 हैक्टर भूमि पर वादी कम 01 का कब्जा काश्त चला आ रहा है तथा जिसमें वादी कम 01 ने तार बाडा कर रखा है एवं 0.79 हैक्टर भूमि पर वादी कम 02 का कब्जा काश्त चला आ रहा

है एवं बोरिंग लगा रखा है । वादीगण का उक्त भूमि पर पिछले 50 वर्षों से भी अधिक समय से लगातार बिना किसी व्यवधान के कब्जा काश्त चला आ रहा है । उक्त भूमि राजस्व रिकॉर्ड में सिवाय चक काबिल काश्त बजंड दर्ज है । वादीगण उक्त भूमि पर कब्जा मुखालफाना के आधार पर खातेदारी अधिकार प्राप्त करने के अधिकारी हो गये हैं ।

3. अतः वाद वादी स्वीकार किया जाकर वादी के पक्ष में तथा प्रतिवादीगण के खिलाफ इस आशय की डिक्री पारित की जावे कि वादी को वादग्रस्त आराजी का कब्जा मुखालफाना के आधार पर खातेदार घोषित किया जावे विकल्प में उक्त भूमि वादीगण को नियमन व आवंटन किये जाने का आदेश पारित किया जावे । राजस्व रिकॉर्ड से उक्त भूमि सिवायचक खाते से हटायी जाकर वादीगण के खाते दर्ज किये जाने का आदेश पारित किया जावे तथा प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि वे वादीगण के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की मदाखलत व मजाहमत नहीं करें । उक्त कृत्य न तो स्वयं प्रतिवादीगण करें और न ही अपने किसी प्रतिनिधि से करावें ।

4. अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय एवं डिक्री दिनांक 05.08.2019 के द्वारा वाद वादीगण खारिज कर दिया ।

5. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 05.08.2019 से व्यथित होकर अपीलान्ट वादीगण ने न्यायालय हाजा में अपील पेश कर कथन किया कि अपीलान्ट उक्त भूमि पर अपने पूर्वजों के समय से करीब 50 वर्षों से काबिज काश्त चले आ रहे हैं । वादीगण अपीलान्ट उक्त भूमि पर कब्जा मुखालफाना के आधार पर खातेदारी अधिकार प्राप्त करने के अधिकारी हो गये हैं । उक्त भूमि राजस्व रिकॉर्ड में सिवायचक दर्ज है जिस पर अपीलान्ट के खिलाफ धारा 91 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम के तहत कार्यवाही की जाती रही हैं । पटवारी हल्का द्वारा खसरा परिवर्तन निर्धारण तथा गैर मुस्तकिल काश्त की पी– 14 में अपीलान्ट द्वारा उक्त भूमि पर काश्त किये जाने का इन्द्राज किया हुआ है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 05.08.2019 निरस्त फरमाया जावे ।

6. अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस सुनी गई ।

7. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने लिखित बहस पेश की जो शामिल मिसल की गई । उन्होंने अपनी लिखित बहस एवं मौखिक बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराया और कथन किया कि वादग्रस्त आराजी साबिक खसरा नम्बर 16 रकबा 36 बीघा भूमि वाके ग्राम अभयपुर तहसील लाडपुरा जिला कोटा में स्थित है । उक्त भूमि में से 08 बीघा भूमि पर वादीगण के पिता गोपाल का कब्जा काश्त चला आ रहा था । बाद सेटलमेंट नये खसरा नम्बर 51 की 1.28 हैक्टर कामय किये गये जिसमें 0.49 हैक्टर पर अपीलान्ट कम 01 काबिज काश्त है और अपीलान्ट कम 02 रकबा 0.79 हैक्टर पर काबिज काश्त है । दोनों अपीलान्ट ने उक्त भूमि पर तार बाडा कर रखा है एवं बोरिंग करा रखा है । उक्त भूमि राजस्व रिकॉर्ड में सरकारी सिवायचक दर्ज है जिस पर अपीलान्टगण पिछले 50 वर्षों से भी अधिक समय से काबिज काश्त हैं । धारा 91 भू–राजस्व अधिनियम के तहत भी अपीलान्ट के खिलाफ कार्यवाही की जा रही है । खसरा परिवर्तनशील में अपीलान्ट की काश्त का इन्द्राज किया हुआ

है । इसके बावजूद आराजी रेस्पोडेन्ट क्रम 02 के खाते में दर्ज की गई है । प्रतिवादी रेस्पोडेन्ट अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित नहीं हुए हैं और न ही जवाबदावा पेश किया है फिर भी दावा वादी खारिज किया है । वादी अपीलान्ट वादग्रस्त आराजी पर कब्जा मुखालफाना के आधार पर खातेदारी अधिकार प्राप्त करने के अधिकारी हैं । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 05.08.2019 निरस्त फरमाया जावे ।

8. रेस्पोडेन्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि वादग्रस्त आराजी सिवायचक दर्ज है जिसमें विधि सम्मत रूप से रेस्पोडेन्ट क्रम 02 के नाम दर्ज करने का आदेश पारित किया गया है । वादग्रस्त आराजी की किस्म गैर मु0 बंजड है जिसमें राजस्थान राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 16 के अन्तर्गत खातेदारी अधिकार प्रदान नहीं किये जा सकते। अधीनस्थ न्यायालय ने विधि सम्मत रूप से दावा वादी खारिज किया है । अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 05.08.2019 बहाल रखा जावे ।

9. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एवं उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया । अधीनस्थ न्यायालय में वादीगण अपीलान्ट ने हक घोषणा का दावा वादग्रस्त आराजी जो कि सरकारी सिवायचक थी और अब नगर विकास न्यास कोटा के खाते में दर्ज है पर कब्जे के आधार पर पेश किया है । सरकारी सिवायचक आराजी पर प्रतिकूल कब्जे के आधार पर खातेदारी अधिकार प्रदान नहीं किये जा सकते । माननीय राजस्व मण्डल की फुल बैंच और माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया जा चुका है कि कृषि भूमि पर प्रतिकूल कब्जे के आधार पर खातेदारी अधिकार प्रदान नहीं किये जा सकते । तद्नुसार अधीनस्थ न्यायालय ने विधि सम्मत रूप से दावा वादी खारिज किया है जिसमें हम किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते हैं ।

10. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 05.08.2019 बहाल रखा जाता है ।

11. निर्णय आज दिनांक 18.03.2020 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

18/3/2020

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

Judl/Govt.
Parrt 1V - B

अपील में डिक्री

(आदेश 41 रूल 35, जाप्ता दीवानी)

राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

बइजलास भागवंती जेठवानी, आर.ए.एस.

अपील संख्या : 19/375

1. घनश्याम आत्मज गोपाल जाति गुर्जर निवासी ग्राम अभयपुर तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।
2. सीताराम आत्मज गोपाल जाति गुर्जर निवासी ग्राम अभयपुर तहसील लाडपुरा जिला कोटा हाल धाकडखेडी तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।

——अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार लाडपुरा जिला कोटा ।
2. नगर विकास न्यास कोटा जरिये अध्यक्ष /सचिव ।

——प्रत्यर्थी

बनाराजगी आदेश निर्णय दिनांक एवं डिक्री दिनांक 05.08.2019 अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर, कोटा जिला कोटा ।

वाद संख्याः 89/दावा/2017

1. घनश्याम आत्मज गोपाल जाति गुर्जर निवासी ग्राम अभयपुर तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।
2. सीताराम आत्मज गोपाल जाति गुर्जर निवासी ग्राम अभयपुर तहसील लाडपुरा जिला कोटा हाल धाकडखेडी तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।

——वादी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार लाडपुरा जिला कोटा ।
2. नगर विकास न्यास कोटा जरिये अध्यक्ष /सचिव ।

——प्रतिवादी

अपील का ज्ञापन

1. **उक्त अपीलार्थी उपर्युक्त वाद न्यायालय सहायक कलक्टर, कोटा जिला कोटा द्वारा पारित निर्णय दिनांक एवं डिक्री दिनांक 05.08.2019 की अपील न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा में निम्नलिखित कारणों से करता है, अर्थात...** कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जावे ।

2. यह अपील तारीख 18.03.2020 को बहाजरी अपीलान्ट की ओर से अभिभाषक श्री रमेश कुशवाह अपीलान्ट की ओर से एवं रेस्पोडेन्ट की ओर से अभिभाषक श्री शम्भूदयाल विजय के उपस्थित आने पर यह आदेश दिया कि अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 05.08.2019 बहाल रखा जाता है ।

3. इस अपील के खर्चे एवं मूल वाद के खर्चे पक्षकारान द्वारा स्वयं वहन किये जाने है ।

यह डिक्री आज तारीख 18.03.2020 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगा कर दी गई।

18/3/2020

मुहर

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा